न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

223RTA2014-00069 Jodh 2014-059 LRs of Chandrasingh and ors Vs LRs of Manoharsingh and ors and similar one other

---

1. चन्द्रसिंह पुत्र राणीदानसिंह जाति राजपुरोहित के कायममुकामान-
   1.1. शम्भुसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपुरोहित
   1.2. शैतानसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपुरोहित
   1.3. आकाशसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपुरोहित
   1.4. रेखा पुत्री चन्द्रसिंह जाति राजपुरोहित
   1.5. मूली पुत्री चन्द्रसिंह जाति राजपुरोहित
   सभी निवासीगण पीलवा, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर
2. घेवरसिंह पुत्र राणीदानसिंह जाति राजपुरोहित
3. दीपसिंह पुत्र अलसीदाससिंह जाति राजपुरोहित
4. भंवरसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुरोहित
5. सज्जनसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुरोहित
6. पुंजराजसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुरोहित
7. नारायणसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुरोहित
8. गोरधनसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुरोहित
9. किशनसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुरोहित
10. शैतानसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुरोहित
    सभी निवासीगण ग्राम पीलवा
    तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. मनोहरसिंह पुत्र पेमसिंह जाति राजपूत के कायममुकामान-
   1.1. रावलसिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति राजपूत चंपावत
   निवासी पिलवा, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर
   1.2. श्यामसिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति राजपूत चंपावत
   निवासी पिलवा, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर
   1.3. जसुकंवर पुत्री मनोहरसिंह पत्नी नरपतसिंह रावलोत
   निवासी ओला, तहसील पोकरण,
   जिला जैसलमेर
   1.4. देवीसिंह पुत्र मनोहरसिंह के कायममुकामान-
   1.4.1.प्रेमकंवर पत्नी देवीसिंह जाति राजपूत चंपावत
   1.4.2.प्रयागसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत चंपावत
   1.4.3.भवानीसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत चंपावत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सभी निवासी ग्राम पिलवा
तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

1.4.4. दीपूकंवर पुत्री देवीसिंह पत्नी बजरंगसिंह रावलोत
निवासी ग्राम गढीयाला
तहसील कोलायत, जिला बीकानेर

2. राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार शेरगढ
जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर बालेसर दिनांक 20/23 जून 2014 राजस्व वाद संख्या 41/2006 मनोहरसिंह बनाम चन्द्रसिंह

------- 0 -------

(2) 223RTA2014-00070 Jodh 2014-60 LRs of Chandrasingh and ors Vs LRs of Manoharsingh and ors

1. चन्द्रसिंह पुत्र राणीदानसिंह जाति राजपुरोहित के कायममुकामान-
1.1. शम्भुसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपुरोहित
1.2. शैतानसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपुरोहित
1.3. आकाशसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपुरोहित
1.4. रेखा पुत्री चन्द्रसिंह जाति राजपुरोहित
1.5. मूली पुत्री चन्द्रसिंह जाति राजपुरोहित
सभी निवासीगण पीलवा, तहसील लोहावट
जिला जोधपुर
2. घेवरसिंह पुत्र राणीदानसिंह जाति राजपुरोहित
3. दीपसिंह पुत्र अलसीदाससिंह जाति राजपुरोहित
4. भंवरसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुरोहित
5. सज्जनसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुरोहित
6. पुंजराजसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुरोहित
7. नारायणसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुरोहित
8. गोरधनसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुरोहित
9. किशनसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुरोहित
10. शैतानसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुरोहित
सभी निवासीगण ग्राम पीलवा
तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. मनोहरसिंह पुत्र पेमसिंह जाति राजपूत के कायममुकामान-
   1.1. रावलसिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति राजपूत चंपावत
   निवासी पिलवा, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर
   1.2. श्यामसिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति राजपूत चंपावत
   निवासी पिलवा, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर
   1.3. जसुकंवर पुत्री मनोहरसिंह पत्नी नरपतसिंह रावलोत
   निवासी ओला, तहसील पोकरण,
   जिला जैसलमेर
   1.4. देवीसिंह पुत्र मनोहरसिंह के कायममुकामान-
   1.4.1.प्रेमकंवर पत्नी देवीसिंह जाति राजपूत चंपावत
   1.4.2.प्रयागसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत चंपावत
   1.4.3.भवानीसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत चंपावत
   सभी निवासी ग्राम पिलवा
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
   1.4.4.दीपूकंवर पुत्री देवीसिंह पत्नी बजरंगसिंह रावलोत
   निवासी ग्राम गढीयाला
   तहसील कोलायत, जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार शेरगढ
   जिला जोधपुर
3. अर्जुनसिंह पुत्र कल्याणसिंह
4. बजरंगसिंह पुत्र कल्याणसिंह
5. भंवरसिंह पुत्र नारायणसिंह
6. रतनसिंह पुत्र नारायणसिंह
7. सालमसिंह पुत्र भंवरसिंह
8. सुखसिंह पुत्र गजेसिंह
9. हनवन्तसिंह पुत्र गजेसिंह
10. पृथ्वीसिंह पुत्र दौलतसिंह
11. मालमसिंह पुत्र गंगासिंह
12. भींवसिंह पुत्र गंगासिंह
13. जसवन्तसिंह पुत्र गंगासिंह
14. देवीसिंह पुत्र गंगासिंह
15. विजयसिंह पुत्र गंगासिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जातियान राजपूत, निवासीगण पीलवां
तहसील देचू, जिला जोधपुर

उपस्थित-
श्री सुगनमल परिहार एवं श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता-रेस्पो. 1/1 से 1/4/4 तक
रेस्पोडेंट्स संख्या 3 से 15 तक बावजूद सूचना के अनुपस्थित।
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 18 अक्तूबर, 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर बालेसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2006 मनोहरसिंह बनाम चन्द्रसिंह व अन्य तथा राजस्व वाद संख्या 413/2006 चन्द्रसिंह बनाम मनोहरसिंह व अन्य के संबंध में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20/23 जून 2014 के खिलाफ यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 11 जुलाई 2014 को प्रस्तुत की है। उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की सहमति से इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित अपील पत्रावली के साथ संलग्न रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. मनोहरसिंह द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के तहत एक राजस्व वाद पेश कर आराजी खसरा संख्या 33 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा संख्या 14 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा गिलाकौर (हरीसिंह नगर) पर अपना कब्जा वक्त सेटलमेण्ट से पूर्व का वर्तमान तक निरन्तर होना, राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम उक्त आराजियात बाबत गलती से दर्ज कर दिया गया। मौके पर निरन्तर कब्जा काश्त वादी मनोहरसिंह का ही चले आने से राजस्व रिकार्ड बाबत कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जानकारी नहीं हो पायी। अब जमीनों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाने के कारण प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजियात से वादी को जबरन बेदखल करने के लिए आमदा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद संख्या 41/2006 संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त वाद का जबाब मय काउण्टर क्लेम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पर पेश किया। दावे एवं जबाब मय काउण्टर क्लेम के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी। इसके बाद प्रकरण में पक्षकारान की सुनवाई के दौरान दिनांक 10 जून 2014 को अधिवक्ता-वादी ने अन्य प्रकरण संख्या 43/2006 में प्रकरण संख्या 41/2006 के साथ समेकित किये जाने संबंधित आदेशिका का उल्लेख किया। तत्पश्चात समायत पूर्ण कर प्रकरण में वास्ते निर्णय दिनांक 20 जून 2014 निर्धारित की गयी, किन्तु उक्त दिनांक को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका, अतः आगामी पेशी दिनांक 23 जून 2014 मुकर्रर की गयी। अन्ततः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 41/2006 स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ (वाद संख्या 41/2006 के संबंध में) अपीलाण्ट्स ने अपील संख्या 60/2014 दिनांक 02 अगस्त 2014 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट चन्द्रसिंह द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 व 188 के तहत एक राजस्व वाद पेश किया गया, जो वाद संख्या 41/2006 के साथ समेकित किया जाना जाहिर करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में "प्रतिवादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बअनवान चन्द्रसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बनाम मनोहरसिंह वगैरा उपरोक्त तनकी वाद निर्णय अनुसार खारिज किया जाता है।" अंकित करते हुए उक्त वाद खारिज कर दिया गया। अतः अपीलाण्ट्स द्वारा वाद संख्या 43/2006 अपील संख्या 59/2014 प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य अपील से संबंधित वाद संख्या 41/2006 के साथ अन्य वाद संख्या 43/2006 हमफीता किये जाने के उपरान्त भी मात्र वाद संख्या 41/2006 में कायम तनकियात के संबंध में निष्कर्ष पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी कायम किये गये और हमफीता किये गये वाद संख्या 43/2006 में कायम तनकियात को न तो समेकित किया गया और न ही उनके बाबत कोई विवेचन किया गया और मात्र अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी में "प्रतिवादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 चन्द्रसिंह बनाम मनोहरसिंह वगैरा उपरोक्त वाद तनकी अनुसार खारिज किया जाता है।" अंकित कर दावा खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित, विधिसम्मतः एवं निर्धारित कानूनी प्रकिया के अनुकूल नहीं है। राजस्व वाद संख्या 41/2006 भी वादीगण-रेस्पो. द्वारा समुचित साक्ष्य सबूत के आधार पर साबित नहीं किया गया। मात्र वादीपक्ष की मौखिक साक्ष्य को आधार बनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में निर्णय पारित कर वाद स्वीकार कर लिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी एवं वादी-रेस्पो. का दावा खारिज किये जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि प्रतिवादीण-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वादग्रस्त आराजियात के संबंध में वादीगण-रेस्पो. को खातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

घोषित करने के बाद स्वतः ही खारिज हो जाता है। 1999 आरआरडी 217 एवं 1994 आरआरडी 135 उद्धरित करते हुए अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि समुचित साक्ष्य सबूत अभिलेख पर उपलब्ध होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण कर निर्णय पारित किया जा सकता है, मात्र इस निमित्त किसी अपील प्रकरण को रिमाण्ड नहीं किया जाना चाहिये। 2002 आरआरडी 47 के आधार पर अधिवक्ता-रेस्पो. ने जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175, 63(1) एवं 42 के मामलों में प्रश्नगत भूमि का कब्जा स्वतः ही अन्तरित नहीं होता है, अपितु इस निमित्त निर्धारित प्रकिया के अनुरूप कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता होती है और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो काबिज व्यक्ति को एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के बाद खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो जाते है और ऐसी स्थिति में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एडवर्स पजेशन के आधार पर की जा सकती है जैसा कि 1993(4) सुप्रीम कोर्ट केसेज 375 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने निवेदन किया कि सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत नजीरों का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। आलौच्य मामलें में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2006 में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री तथा पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर कि मामले में एक अन्य वाद संख्या 43/2006 अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को वाद संख्या 41/2006 को समेकित किया जाना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकट होता है किन्तु इस संबंध में वाद प्रकरण संख्या 41/2006 की पत्रावली में कोई औपचारिक आदेश पारित किया जाना नहीं पाया जाता है और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों वाद-प्रकरणों में कायम तनकियात के परिप्रेक्ष्य में कमी-बेशी अथवा संशोधन कर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई कर निष्कर्ष पारित किया जाना प्रकट होता है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी में वाद संख्या 43/2006 के संबंध में मात्र इतना ही अंकित किया गया है कि "प्रतिवादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बअनवान चन्द्रसिंह बनाम मनोहरसिंह वगैरा उपरोक्त तनकी वाद निर्णय अनुसार खारिज किया जाता है।" **इन परिस्थितियों में अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय अस्पष्ट, अपूर्ण एवं निर्धारित विधिक प्रकिया को नजरअंदाज करते हुए पारित किया गया होने से समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।**

जो नजीरें अधिवक्ता-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत की गयी है, उनमें से 1999 आरआरडी 217 एवं 1994 आरआरडी 135 में प्रतिपादित किया गया है कि समुचित साक्ष्य सबूत अभिलेख पर उपलब्ध होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण कर निर्णय पारित किया जा सकता है, मात्र इस निमित्त किसी अपील प्रकरण को रिमाण्ड नहीं किया जाना चाहिये। अदालत हाजा इन नजीरों का सम्मान करती है और प्रतिपादित सिद्धान्त से पूर्णतः सहमत है, **किन्तु वर्तमान मामले में अपीलाण्ट-वादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 43/2006 बअनवान चन्द्रसिंह बनाम मनोहरसिंह इत्यादि के संबंध में अपीलाधीन निर्णय में न तो किसी प्रकार की कोई तनकी बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबूत का अवसर दिया जाना प्रकट होता है और न ही उक्त समेकित वादों के संबंध में निर्धारित विधिक प्रकिया का अनुकरण करते हुए**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कार्यवाही की गयी है। ऐसी स्थिति में तथ्यों की भिन्नता के कारण उपरोक्त नजीरें हूबहू वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है। अन्य नजीरों के संदर्भ में वर्तमान मामला किस प्रकार प्रभावित होता है, इस बाबत दोनों समेकित वादों के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य सबूत आदि की कार्यवाही के बिना किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना अदालत हाजा उचित नहीं समझती है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर आलौच्य दोनों अपीलें आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर बालेसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2006 मनोहरसिंह बनाम चन्दसिंह व अन्य तथा राजस्व वाद संख्या 43/2006 चन्द्रसिंह बनाम मनोहरसिंह व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20/23 जून 2014 अपास्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों वादों के संबंध में कंसोलिडेशन की नियमानुसार समुचित प्रकिया अपनाई जाकर पक्षकारान को साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए तथा आवश्यक हो तो नियमानुसार मौका कमिश्नर नियुक्त कर तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर मौके की तथ्यात्मक वस्तुस्थिति अभिलेख पर लेते हुए न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/11/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर